रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267975
CG-DL-E-26112025-267975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5230] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947
No. 5230] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2025

का.आ. 5408अ).—जबकि मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफ़िस तीसरी मंजिल, मेकर चेम्बर्स IV, 222, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र – 400021 पर स्थित है, ने ट्रांसमिशन स्कीम, "गुजरात में मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2000 मेगावाट सौर परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम", में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फाइल नं. 25-17/35/2025-PG दिनांकित 21 अप्रैल 2025 के अंतर्गत ट्रांसमिशन स्कीम, "गुजरात में मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2000 मेगावाट सौर परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम", में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, फायनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 20 मई 2025, राजस्थान पत्रिका (हिन्दी में) दिनांक 26 जुलाई 2025, संदेश (गुजराती में) दिनांक 20 मई 2025 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 16 अगस्त 2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ने दिनांकित 15 अक्टूबर 2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई अवलोकन / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलिग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं:-

- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पूलिंग स्टेशन (जेड2 पार्सल) – लाकड़िया 400 केवी डी/सी लाइन

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइनें राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव	तहसील	जिला	राज्य
मौवाणा (मौवाणा-शिवगढ़), बेला, फतेहगढ़, वृज वाणी, गेड़ी, आनंदपर, हमीरपर नानी, सानगढ़, सेलारी, उमैया, हमीरपर मोती, कारुडा, सोपेड़ा, रापर, कानपर, सोनलवा, टिंडलवा मोटा, टिंडलवा नाना, टिंडलवा, डाभुंडा, प्रागपर, सई, खिरई, डेडरवा, गोविंदपर (खारोल), बादरगढ़, चित्रोड, रामपर, सुखना (सुकना), गोलिया, डोरा, खोडियार वांध, दंभड़ा, वालपुरा, वल्लभपर, पंचासर, देवीसर, लंबादार बेट, विरिनो वाडिय़ो, , फरारी बेट, जेठासरी, निलपर, धारोड़ी (नंदेल वांध), खारी/जाटावाड़ा-जिलारवांध, चोटिला धार, भोजनारी धार, गंगेतिया बेट, बाई बेट, बिड बेट, टोडमल, मेघ मेड़ी, लमरीनी वांध, भाभर, गामड़ी (शिवगढ़)	रापर	कच्छ	गुजरात
वसटवा, लाकडिया, शिवलखा	भचाऊ	कच्छ	गुजरात
कच्छ का रण	-	कच्छ	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण,ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. अगर उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के मामले में याचिका सं. 2019 के नं. 838 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में गठित टेक्निकल/एक्सपर्ट कमेटी के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।

[फा. सं. 25-16/70/2025-पीजी]
एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 25th November, 2025

S.O. 5408(E).— Whereas M/s Reliance Industries Limited, the applicant with its registered office at 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra - 400021, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme "Transmission System for providing connectivity to M/s Reliance Industries Limited for its 2000 MW Solar Project in Gujarat".

And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/35/2025-PG dated 21st April 2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme "Transmission System for providing connectivity to M/s Reliance Industries Limited for its 2000 MW Solar Project in Gujarat".

M/s Reliance Industries Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Financial Express (in English) dated 20th May 2025, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 26th July 2025, Sandesh (in Gujarati) dated 20th May 2025 and in Weekly Gazette of India dated 16th August 2025 for the general public to make observations / representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Reliance Industries Limited has submitted an affidavit dated 15th October 2025 declaring that no observation / representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s Reliance Industries Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme :-

i. Reliance Industries Limited (RIL) Pooling station (Z2 parcel) – Lakadia 400 kV D/C line

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities: -

Villages	Tehsil	District	State
Mauvana (Mauvana-Shivgarh), Bela, Fatehgarh, Vrij Vani, Gedi, Anandpar, Hamirpur Nani, Sangarh, Selari, Umaiya, Hamirpur Moti, Karuda, Sopeda, Rapar, Kanpar, Sonalwa, Tindalwa Mota, Tindalwa Nana, Tindalwa, Dabhunda, Pragpar, Sai, Khirai, Dedarwa, Govindpur (Kharol), Badargadh, Chitrod, Rampar, sukna, Golia, Dora, Khodiyar Wandh, Dambhda, Valpura, Vallabhpur, Panchasar, Devisar, Lambadar bet, Virino Wadiyo, Pharari Bet, Jethasari, Nilpar, Dharodi (Nandel Wandh), Khari/ Jatavala, Chotila Dhar, Bhojnari Dhar, Gangetia Bet, Bai bet, Bid bet, Todmal, Megh Medi, Lamrini wandh, Bhabhar, Gamdi (Shivgarh)	Rapar	Kachchh	Gujarat
Wastava, Lakadia, Shivlakha	Bhachau	Kachchh	Gujarat
Rann of Kachchh	-	Kachchh	Gujarat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Reliance Industries Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Reliance Industries Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical /expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/70/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL